राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर-- 110/2015

GCMS No. 2015/00801

मालाराम पुत्र श्री सुखराम जाति माली आयु 84 वर्ष निवासी मोडी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद मकान नं. एस.डी. 113 शक्तिनगर हटवाडा रोड़, खातीपुरा जयपुर, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. प्रदीप पुत्र लालचंद आयु 36 वर्ष
2. कैलाश पुत्र ख्यालीराम आयु 52 वर्ष
3. राभजीलाल पुत्र ख्यालीराम आयु 62 वर्ष
4. अजीत पुत्र रामस्वरूप आयु 35 वर्ष
5. रणवीर पुत्र प्रकाश आयु 30 वर्ष
6. बाबुलाल पुत्र श्रीचन्द आयु 70 वर्ष
7. इन्द्राज पुत्र सांवलराम आयु 57 वर्ष
8. राजू पुत्र केदार आयु 28 वर्ष
   समस्त जाति माली निवासी मोडी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: दिनांक 09–12–2022

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मोडी तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खाता संख्या 38 जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 खसरा नंबर 171 रकबा 0.39 है. का एकांकी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो उक्त वर्णित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादी कुछ अरसे से जयपुर आबाद है जो अक्सर गांव आकर अपनी सम्पति को संभालता रहा है व कृषि भूमि की काश्त आदि की व्यवस्था करता है। उक्त भूमि या इसके किसी भी भाग में कभी कोई रास्ता नहीं रहा। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 8 लड़ाकु, झगड़ालु प्रवृति के व्यक्ति है उनका वाद वर्णित भूमि से कोई संबध सरोकार नहीं रहा व अजनबी स्ट्रेंजर है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 8 का गांव में गिरोह है वे पैसे वाले प्रभावशाली हैं ये लोग भूमि पर जबरन से बलपूर्वक रास्ता डालने की धमकी देते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 8 दिनांक 2.07.2015 को वादी के खेत खसरा नंबर 171 में जबरन से जेसीबी मशीन [illegible] हो 20–25 वर्ष पुराना कीकर का भारी हरा पेड़, जांटी के 3 पेड़, आंवले [illegible] पेड़ों को उखाड़ दिया एवं पानी के होद की पाईप लाईन को [illegible] अधिकार नहीं था। वादी द्वारा पुलिस में रिपोर्ट करने पर [illegible] 8 ओर भी द्वेषता रख [illegible] हैं और वे गांव में अहलानियां धमकी दे रहे हैं कि उनकी [illegible] र तक पहुंच है वे सर[illegible] रास्ता कायम करवाने का आदेश लाकर रास्ता लेकर ही रहेंगे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

भूमि में रास्ता डालने से वादी बर्बाद होगा और उसे ऐसी हानि होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। रास्ता डालने से भूमि की सुरक्षा ही खत्म हो जावेगी। वैसे भी बिना क्षतिपूर्ति दिये कृषि भूमि में रास्ता डालने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी को यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) प्रतिवादी सं. 1 लगा. 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि वे वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 0.39 है. वाके ग्राम मोडी में न घुसे, न कब्जा करे न किसी प्रकार से कोई रास्ता कायम करें न पेड़ आदि कोट, न मिट्टी की खुदाई करें ना पानी की लाईन उखाड़े, ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से कोई बाधा/दखलंदाजी करें।

(ख) प्रतिवादी सं. 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि वे वादी की भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 0.39 है. में या उसके किसी भाग में कोई रास्ता डालने बाबत कोई आदेश पारित ना करें। ऐसा न वे स्वयं करें, न अपने अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों से करावे।

(ग) दौराने वाद प्रतिवादीगण वाद वर्णित भूमि में कोई रास्ता डालदे तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाकर भूमि को पूर्व स्थिति बहाल करावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 8 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया है तथा अपने जवाब में कथन किया है कि प्रतिवादीगण वादी के खेत में से कोई रास्ता नहीं बना रहे हैं व नहीं वादी को कोई धमकी दे रहे हैं। बल्कि रास्ता पहले से ही वादी के खेत खसरा नंबर 171 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे कदीम से यानि 100 साल से अधिक समय से स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है जिसके खसरा नंबर 178 है एवं नक्शा ट्रेस में भी कटा हुआ है जिसको नक्शा ट्रेस में दिखाया गया है। उक्त रास्ता पहले 18 फुट चौड़ा था जिसको वादी ने व उक्त रास्ते के सिराने स्थित अन्य खेतों वालों ने दबाकर संकड़ा कर दिया है। वादी ने रास्ते की करीब दो फुट चौड़ाई नें भूमि दबा रखी है। इस प्रकार वादी स्वयं एक अतिक्रमी है जिसने रास्ते की भूमि को दबाकर अपने खेत में मिला रखा है जिसको निकलवाया जाना आवश्यक है। वादी प्रतिवादीगण से रंजिश रखता है जो हमेशा प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करता रहता है तथा वादी ने उक्त दावा प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर झूंठा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी सं. 9 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 खाता सं. 38 ग्राम मोडी पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में बयान मालाराम सैनी पुत्र सुखाराम सैनी (पी.डब्ल्यू.–1), नरेश कुमार पुत्र लादुराम (पी.डब्ल्यू.–2), लादुराम पुत्र सुखाराम (पी. डब्ल्यू.–3) के भी कलमबद्ध करवाये।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 खाता सं. 1, नकल नक्शा किश्तवार ग्राम नोडी पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में बयान प्रदीप पुत्र लालचन्द (डी.डब्ल्यू.–1) के कलमबद्ध करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2071–2074 खाता सं. 38 खसरा नंबर 171 रकबा 0.39 है.

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

का मालाराम पु0 सुखराम जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अर्थात् वादग्रस्त भूमि का वादी एकांकी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा उसे पूर्ण अधिकार है कि वाद वर्णित ख.नं. 171 पर वादी के कब्जे की भूमि रकबा 0.39 है. के अपने कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी तरह के दखल अंदाजी करने से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 को पाबंद करावे। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का ख.नं. 171 के आराजी में कोई लेना देना नहीं है। साक्ष्य सबूतों से वाद वर्णित भूमि वादी के कब्जे की खातेदारी है। अतः वाद वादी डीक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 0.39 है. ग्राम मोड़ी तहसील खेतड़ी में किसी भी तरह से बाधा कारित नहीं करें। एकतानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

मालाराम

ब–ना–म

प्रदीप आदि

दावा बाबत **स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **110/2015**

निर्णय दिनांक :– **09–12–2022**

वादी की ओर से **श्री मानसिंह मान एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री बद्रीप्रसाद सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **09–12–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 0.39 है. ग्राम मोड़ी तहसील खेतड़ी में किसी भी तरह से बाधा कारित नहीं करें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **09–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner